N 33

न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/उप जिलाधिकारी, बेहट जिला सहारनपुर ।

वाद संख्या 33 /09-2010 धारा 143 ज0वि0अधि0

1-डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशन सोसाईटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन/प्रबन्धक इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर ———————————प्रार्थी।

बनाम सरकार उत्तर प्रदेश

ग्राम- थापुल इस्माईलपुर

परगना मुजफ्फराबाद

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशन सोसाईटी 170 बसन्त बिहार देहरादून स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 24-8-09 के आधार पर प्रारम्भ हुई, जिसमें प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.3442, 2365 रकबा 0.1409, 2372 रकबा 0.3069, 2384 रकबा 0.1606, 2385 रकबा 0.1917, 2386 रकबा 01928, 2316 रकबा 0.2184, 2312 रकबा 0.5833 वाके ग्राम थापुल इस्माईलपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर का भूमिधर है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज है। उपरोक्त भूमि मौके पर काफी अरसे कृषि कार्य के रूप में प्रयोग नही हो रही है बल्कि शिक्षण संस्था के रूप मे प्रयोग हो रही है। उपरोक्त भूमि लगातार अकृषिक होने/शिक्षण संस्था के रूप मे प्रयोग होने के कारण भूमि का डिकलेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किया जाना अति आवश्यक व न्यायसंगत है। उपरोक्त भूमि लगातार आबादी शिक्षण संस्था के रूप मे प्रयोग होने के कारण उपरोक्त भूमि का डिकलेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत न होने के कारण प्रार्थी के हकूक पर विपरित प्रभाव पड़ने का सख्त अन्देशा है। अन्त में उपरोक्त भूमि का डिकलेरेशन धारा 143 के अन्तर्गत किये जाने व लगान माफ किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बेहट से जांच कराई गई। जांच आख्या दिनांक 03-01-2010/04-02-2010 के अनुसार खसरा 2386/0.1928है0, 2385/0.1917है0, 2384/0.1606है0, 2372/0.3069है0, 2365म/0.1149है0, 2371म/0.1351है0 भूमि डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून हाल स्थायी कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्रसिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह निवासी सुन्दरपुर के नाम अंकित है। भूमि मे खेती नही हो रही है। भूमि उक्त सोसायटी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानो के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों हेतु प्रयुक्त हो रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने एवं भूराजस्व से मुक्त किये जाने हेतु संस्तुति तहसीलदार द्वारा की गई है।

चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर परगना मुजफ्फराबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर ने अपने सशपथ बयान मे स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बरान डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित दून कालेज के शिक्षण गतिविधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे खेल इत्यादि एवं कुछ भाग मे भवन के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि के सहखातेदारान मुकेश राणा, मुकेश कुमार, संदीप कुमार, जितेन्द्र कुमार , नीरज कुमार व पान्नो देवी के सशपथ बयान से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने मे उन्हें कोई आपत्ति नही है।

अतः तहसीलदार बेहट की संस्तुति के आधार पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसायटी 170 बसन्त बिहार देहरादून हाल स्थाई कार्यालय सुन्दरपुर द्वारा चेयरमैन इन्द्र सिंह सागवान पुत्र बीरबल सिंह सागवान नि0 सुन्दरपुर के नाम खतौनी वर्ष 1413-1418 फसली के खाता सं0 14 मे अंकित ख0नं0 2386 रकबई 0.1928है0, खाता सं0 595 के खसरा नम्बर 2385 रकबा 0.1917है, खाता सं0 1573 के खसरा नम्बर 2384 रकबा 0.1606है0, खाता सं0 1351 के खसरा सं0 2372 रकबा 0.3069है0 व खाता सं0 1777 के खसरा सं0 2365म रकबा 0.1149है0 व ख0सं0 2371म रकबा 0.1351है0 से संबंधित भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए लगान क्रमशः अंकन रू0 8.05, रू0 8.00, रू03.85, रू0 7.75, रू0 5.65 समाप्त किया जाता है। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, बेहट एवं उपनिबन्धक, बेहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: फरवरी 04 , 2010

S.D.M. (Behat)

(राजेन्द्र सिंह)

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/

उप जिलाधिकारी, बेहट 4/2/10

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार बेहट

2- उप निबन्धक बेहट

सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/

उप जिलाधिकारी, बेहट 4/2/10

मुकाबला कर्ता

निरीक्षण कर्ता